



इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1223, वर्ष 2026

जुगारा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, प्रमुख सचिव, गृह विभाग, लखनऊ के माध्यम से

.....विरोधी पक्षकार (गण)

—

आवेदक(गण) के अधिवक्ता

: शिवम श्रीवास्तव, मोहित

सिंह,

राहुल कुमार शुक्ला

विरोधी पक्षकार (गण) के अधिवक्ता

: सरकारी अधिवक्ता

—

न्यायालय संख्या - 13

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

माननीय न्यायमूर्ति मनीष कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अंतर्गत दायर इस आवेदन के माध्यम से, आवेदक—जो पुलिस थाना-परसपुर, जिला गोंडा में दर्ज आपराधिक वाद संख्या 0363 वर्ष 2025 में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 80(2), 85 जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304-B और 498-A के समतुल्य हैं तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत आरोपी है—विचारण के समय जमानत पर रिहाई की माँग कर रहा है।

3. इस प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि 18.08.2025 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85, 80(2) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 के अंतर्गत, वर्तमान आवेदक सहित पाँच आरोपियों के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता की बेटी की शादी प्राथमिकी में नामजद आरोपी - नंद कुमार से हुई थी, और इस शादी से उनकी एक बेटी भी है। 17.08.2025 को, उन्होंने दहेज की माँग को लेकर शिकायतकर्ता की बेटी को बुरी तरह पीटकर मार डाला।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. आवेदक के अधिवक्ता ने यह दलील दी है कि आवेदक मृतक की सास है और उसे इस प्रकरण में झूठा फँसाया गया है। मृतक की शादी 15.06.2019 को उसके बेटे - नंद कुमार के साथ हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। शादी के लगभग छह साल बाद, उसने आत्महत्या कर ली, जिसका पता शवपरीक्षण विवरण से चलता है; इस विवरण में मौत का कारण 'फाँसी लगाने से दम घुटना' बताया गया है। इसके अतिरिक्त, मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं मिली, जिससे प्राथमिकी में लगाए गए उन आरोपों की पुष्टि नहीं होती कि आरोपी व्यक्तियों, जिनमें वर्तमान आवेदक भी सम्मिलित है, द्वारा उसके साथ बुरी तरह मारपीट की गई थी।

5. इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया जाता है कि वर्तमान प्रकरण में परिवार के सभी सदस्यों को एक जैसे आरोप लगाकर फँसाया गया है—सिवाय परिवार के पुरुष सदस्यों के विरुद्ध लगाए गए कुछ आरोपों के। माननीय उच्चतम न्यायालय ने गीता मेहरोत्रा और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [(2012) 10 एस.सी.सी 741] के वाद में, वैवाहिक मामलों में परिवार के सभी सदस्यों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने की ऐसी प्रथा की कड़ी निंदा की है।

6. इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत है कि यह आत्महत्या का प्रकरण है, और माननीय उच्चतम न्यायालय ने मंगत राम बनाम हरियाणा राज्य आपराधिक अपील संख्या 592-एस बी, 1997; निर्णय दिनांक 27.05.2008 (पी एवं एच)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के वाद में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी महिला द्वारा आत्महत्या किए जाने के कई कारण या वजहें हो सकती हैं।

7. इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गुरचरण सिंह बनाम पंजाब राज्य [(2020) 10 एस.सी.सी 200] और जियो वर्गीस बनाम राजस्थान राज्य और अन्य [(2021) एस.सी.सी ऑनलाइन एस.सी 873] के वाद में दिए गए निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, आवेदक ज़मानत का अधिकारी है।

8. इसके अतिरिक्त यह भी प्रस्तुत है कि आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 20.09.2025 से जेल में है।

9. इसके अतिरिक्त यह भी निवेदन किया जाता है कि सह-आरोपी, जिसका नाम श्याम कुमार (देवर) है, ने इस न्यायालय में आपराधिक विविध ज़मानत आवेदन संख्या 1881 वर्ष 2026 दायर करके संपर्क किया था, जिसमें इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने दिनांक 17.03.2026 के आदेश द्वारा उसे ज़मानत प्रदान कर दी थी। बहस के समय ज़मानत आदेश की प्रतियाँ प्रस्तुत की गई हैं, जिन्हें अभिलेख पर ले लिया गया है। वर्तमान आवेदक और उक्त सह-आरोपी जिसे ज़मानत दी गई है, की भूमिकाएँ लगभग एक समान हैं, और

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

आवेदक, श्याम कुमार (देवर) को दी गई ज़मानत के आधार पर समानता के सिद्धांत के अंतर्गत ज़मानत पाने का अधिकारी है।

10. प्राप्त निर्देशों के आधार पर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने ज़मानत की प्रार्थना का विरोध किया, लेकिन वे आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों का, न तो तथ्यों के आधार पर और न ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि के आधार पर, खण्डन कर सके; और न ही वे आवेदक द्वारा उस समानता के दावे का विरोध कर सके, जो उसने इस न्यायालय की एक सम-पीठ द्वारा श्याम कुमार को दी गई ज़मानत के संदर्भ में की थी।

11. संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और वाद के अभिलेख का अवलोकन करने के बाद, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लगाए गए अधिकांश आरोप सामान्य और अस्पष्ट प्रकृति के हैं, और इस वैवाहिक विवाद में परिवार के सभी सदस्यों को फँसाया गया है; इसके अतिरिक्त, फाँसी लगाने के कारण हुई मृत्यु को छोड़कर, मृतक के शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए हैं।

12. प्रथम दृष्टया, यह पाया गया है कि यह आवेदक को ज़मानत दिए जाने के लिए एक उपयुक्त वाद है। तदनुसार, प्रस्तुत ज़मानत याचिका स्वीकार की जाती है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



13. आवेदक- जुगारा को उपर्युक्त आपराधिक वाद संख्या में, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी बंध-पत्र और उतनी ही राशि के दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ ज़मानत पर रिहा किया जाए :-

(i) आवेदक विचारण के समय अभियोजन पक्ष के साथ सहयोग करेगा।

(ii) आवेदक विचारण के समय साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(iii) आवेदक अभियोजन साक्षी/साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।

(iv) आवेदक कोई अपराध नहीं करेगा।

(v) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन नहीं देगा, धमकी नहीं देगा या वादा नहीं करेगा, ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

(vi) आवेदक निर्धारित प्रत्येक तारीख को, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से, विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(vii) आवेदक साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं माँगेगा।

(viii) आवेदक, धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तारीखों पर, विचारण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहेगा।

14. यदि उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और विधि के अनुसार आदेश पारित करे।

15. चूँकि यह आदेश आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने से संबंधित है, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का वाद के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति मनीष कुमार)

31 मार्च, 2026

नितेश

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।